विजय कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 05 /2024
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226002
दिनांकः जनवरी 19, 2024

विषयः मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-51001/2023 शहनवाज उर्फ शानू उर्फ छोटू बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांकित 05.01.2024 के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा खण्डपीठ लखनऊ में योजित होने वाली रिट याचिकाओं/ जमानत प्रार्थना पत्रों/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों तथा अपीलों आदि पर निर्धारित समय-सीमा के अन्दर समुचित Instructions उपलब्ध कराने तथा पूर्व निर्धारित 19 विन्दु के प्रारूप में प्रत्येक बिन्दु में सूचनायें अंकित करते हुये Instructions के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाली रिट याचिकाओं/जमानत प्रार्थना पत्रों/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों तथा अपीलों आदि पर समयान्तर्गत Instructions उपलब्ध कराये जाने हेतु इस मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित बाक्स में अंकित निर्देश पूर्व में निर्गत किये जा चुके हैं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्रों पर प्रस्तरवार आख्या उपलब्ध कराने हेतु पार्श्वांकित बॉक्स में अंकित निम्नवत समयसीमा निर्धारित की गयी है।. प्रत्येक जनपद में समय से Instructions उपलब्ध कराये जाने हेतु <u>पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक</u> स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जा चुका है परन्तु इस मुख्यालय स्तर से निर्गत परिपत्रों का अनुपालन कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर कड़ाई से नहीं किया जा रहा है।

पत्र सं0-डीजी-10-वि.प्र.-रिट-106/2023 दि0-20.07.2023
डीजी परिपत्र सं0 -03/2023 दि0-30.01.2023
डीजी परिपत्र सं0 - 09/2022 दि0- 30.04.2022
डीजी परिपत्र सं0 -39/2021 दि0- 06.10.2021
डीजी परिपत्र सं0 -42/2021 दि0- 02.11.2021
डीजी परिपत्र सं0 -43/2021 दि0- 01.12.2021
डीजी परिपत्र सं0 -31/2021 दि0- 28.08.2021
डीजी परिपत्र सं0 -24/2021 दि0-26.07.2021
डीजी परिपत्र सं0 -10/2021 दि0-03.03.2021
डीजी परिपत्र सं0 -37/2020 दि0-22.10.2020
डीजी परिपत्र सं0 -51/2019 दि0-05.12.2019

अपराध	समयसीमा
पाक्सो एक्ट के अभियोगों से सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्रों हेतु समयसीमा	10 दिवस
अनुसूचित जाति / जनजाति से सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्रों हेतु समयसीमा	07 दिवस
अन्य अभियोगों से सम्बन्धित जमानत प्रार्थना पत्रों हेतु समयसीमा	05 दिवस

यहाँ पर यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मा0 उच्च

न्यायालय में योजित जमानत प्रार्थनापत्रों / अपीलों में समय से समुचित निर्देश (Instructions) / प्रस्तरवार आख्या उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की समीक्षा हेतु इस मुख्यालय स्तर से तीन समितियों का गठन किया गया था, जिनका विवरण निम्नवत है–

1. पॉक्सो अधिनियम के अभियोगों में समय से उत्तर प्रेषित करने की कार्यवाही समीक्षा हेतु **अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन,** उ0प्र0 की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। **(आदेश संख्या-डीजी-दस-वि0प्र0-रिट-23/2021 दिनांकित 28.08.2021 की छायाप्रति संलग्न)**
2. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अभियोगों में समय से उत्तर प्रेषित करने की कार्यवाही समीक्षा हेतु **पुलिस महानिदेशक, विशेष जाँच,** उ0प्र0 की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। **(आदेश संख्या-डीजी-दस-वि0प्र0-रिट-281/2020 दिनांकित 03.03.2021 की छायाप्रति संलग्न)**
3. अन्य अधिनियम के अभियोगों में समय से उत्तर प्रेषित करने की कार्यवाही समीक्षा हेतु **जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/पुलिस आयुक्त** की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठंन किया गया है। **(आदेश संख्या-डीजी-दस-वि0प्र0-रिट-134/2021 दिनांकित 26.07.2021 की छायाप्रति संलग्न)**

क्रि0 मिस. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-51001/2023 शहनवाज उर्फ शानू उर्फ छोटू बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य सम्बन्धित मु.अ.सं. 620/2021 अन्तर्गत धारा-3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना-खुल्दाबाद, जनपद-प्रयागराज के प्रकरण में दिनांक 05.01.2024 को सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश में जमानत प्रार्थना पत्रों पर Instructions समय से न प्राप्त होने तथा क्रिमिनल मिस. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-55132/2022 Rt. Rev. Dr. Peter Baldev बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश के माध्यम से निर्धारित 19 बिन्दु के प्रारूप में सम्पूर्ण विवरण न अंकित करने को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा अधोहस्ताक्षरी, अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन एवं शासकीय अधिवक्ता को विचार-विमर्श कर समस्या के निराकरण हेतु निम्नवत निर्देशित किया गया है–

> 1.The judgements of this Court rendered in Sahil Vs. State of U.P. (Criminal Misc. Bail Application No. 19839 of 2021), Sanjay @ Mausam v. State of U.P. (Criminal Misc. Bail Application No.22305 of 2021) and Aditya Dubey alias Sachin Vs. State of U.P. (Criminal Misc. Bail Application No. 17969 of 2022) for providing timely instructions to the learned Government Advocate to prevent delays in bail hearing and the consequential orders of the Director General of Police, State of Uttar Pradesh, Lucknow are not being complied with. In many cases the instructions are not being sent in time. Learned A.G.A. has not been able to satisfy the Court as to why the judgements of this Court as well as orders of the Director General of Police, State of Uttar Pradesh, Lucknow made in compliance thereof are not being complied with.

.....3

2. The proper instructions in the manner provided by this Court in Rt. Rev Dr. Peter Baldev v. State of U.P. (Criminal Misc. Bail Application No.55132 of 2022) and the consequential orders of the Director General (Prosecution), State of Uttar Pradesh, Lucknow passed in compliance thereof are being flouted. The judgements of this Court are being observed more breach than in compliance. Lack of proper instructions is causing delays in the bail hearing and prolonging the imprisonment of accused persons.

3. It appears that the officials at the district level have no fear of law or regard for their senior most officials. It appears that there is lack of will to take appropriate action against the errant police officials who disobey the orders of this Court with sense of impunity and also fail to carry out the orders of the senior most officials of the Uttar Pradesh Police. The scale of the problem is so big that this Court has come to a conclusion that the situation can be remedied only by a systemic response.

Accordingly, the Court directs the Director General of Police, State of Uttar Pradesh, Lucknow and the Director General (Prosecution), State of Uttar Pradesh, Lucknow shall file their personal affidavits addressing the above said issues. The Director General of Police, State of Uttar Pradesh, Lucknow and the Director General (Prosecution), State of Uttar Pradesh, Lucknow may also have a conference with the learned Government Advocate to short out the issues of lack of coordination between various wings of the police departments and to ensure that the will of this Court prevails in the State.

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 09.01.2024 को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक में शासकीय अधिवक्ता द्वारा समय से instructions न उपलब्ध होने तथा निर्धारित 19 बिन्दु के प्रारूप में सम्पूर्ण विवरण न अंकित होने से उत्पन्न हो रही समस्याओं से अवगत कराया गया तथा इन समस्याओं के निराकरण हेतु कतिपय सुझाव भी दिये गये।

शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मुख्य रूप से यह सुझाव दिया गया है कि कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारी के कार्यालय में मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले प्रकरणों को एक रजिस्टर में तिथिवार अंकित कर लिया जाए और प्रतिदिन यह अनुश्रवण किया जाए कि किन मामलों में Instructions मा0 उच्च न्यायालय को प्रेषित किये जा चुके है और किन मामलों में प्रेषित किया जाना शेष है। कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर इस प्रकार अनुश्रवण कार्यवाही नियमित रूप से किये जाने से जनपदों से समय से Instructions न प्राप्त होने की समस्या का पर्याप्त रूप से समाधान हो जायेगा।

इस मुख्यालय स्तर से जमानत प्रार्थनापत्रों/अपीलों पर समुचित निर्देश (Instructions)/ प्रस्तरवार आख्या निर्धारित समयसीमा के अंदर शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा खण्डपीठ लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु लगातार निर्देश निर्गत किये जाने तथा इस कार्यवाही की समीक्षा हेतु वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अध्यक्षता में समितियों का गठन किये जाने के उपरान्त भी

.....4

जमानत प्रार्थनापत्रों / अपीलों पर समय से समुचित प्रस्तरवार आख्या उपलब्ध कराने की कार्यवाही पूरी नहीं की जा रही है, जो मा0 उच्च न्यायालय तथा इस मुख्यालय द्वारा निर्गत किये गये पूर्व निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाली रिट याचिकाओं/जमानत प्रार्थना पत्रों/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्रों तथा अपीलों आदि पर ससमय Instruction मुख्य स्थायी अधिवक्ता तथा शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जनपद तथा कमिश्नरेट में नियुक्त नोडल अधिकारी मा0 उच्च न्यायालय में समय से निर्देश प्रेषित करने हेतु उत्तरदायी होंगे, उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक प्रकरण के साथ निर्धारित 19 बिन्दु के प्रारूप में समस्त सूचना अंकित करते हुये उसे निर्देश/प्रस्तरवार आख्या के साथ अवश्य संलग्न किया जाए। नोडल अधिकारी निर्देश/प्रस्तरवार आख्या के साथ संलग्न किये जाने वाले 19 बिन्दु के प्रारूप का विधिवत परीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारूप में अंकित कोई बिन्दु रिक्त अथवा अनुत्तरित न छोड़ा जाए।

जमानत प्रार्थनापत्रों पर निर्देश (Instructions)/प्रस्तरवार आख्या ससमय मा0 उच्च न्यायालय प्रेषित करने हेतु गठित समितियों द्वारा नियत अंतराल पर अनुश्रवण किया जायेगा तथा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का शिथिलता किये जाने का तथ्य संज्ञान में आता है तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(विजय कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था),उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उ0प्र0, लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
7. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर-2 पुलिस मुख्यालय , गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ - 226002

पत्रांकः डीजी-दस-वि0प्र0-रिट-(23)/2021

दिनांकः अगस्त 28 , 2021

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या-46998/2020 जुनैद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 09.07.2021 द्वारा POCSO Act, 2012 के अभियुक्तों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाले जमानत प्रार्थना पत्र पर Instructions उपलब्ध कराने हेतु 10 दिवस की Timeline निर्धारित करते हुये Timeline के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा तय समय-सीमा के भीतर Instructions मा0 उच्च न्यायालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा POCSO Act 2012 के प्रकरणों में जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई निर्धारित समय-सीमा के बाद दसवें दिन की जायेगी।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद नें अपने उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा हेतु एक राज्य स्तरीय समिति के गठन के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देशित किया है-

> **III. The Director General of Police shall create a State Level Committee headed by Officer not below than the rank of Additional Director General of Police. The aforesaid committee shall prepare biannual reports which review the working and implementation of the above said directions throughout the State of U.P., & examine the action taken against the officials who violate the directions.**

क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या-46998/2020 जुनैद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 09.07.2021 के अनुपालन में अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की अध्यक्षता में समिति का निम्नवत गठन किया जाता है-

1.	अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन	अध्यक्ष
2.	अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर निदेशक अभियोजन स्तर से कम न हो।	सदस्य
3.	अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो पुलिस अधीक्षक स्तर से कम न हो।	सदस्य

उपरोक्त गठित समिति मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति तथा निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की समीक्षा करेगी। समिति प्रत्येक छः माह पर अपनी अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

(मुकुल गोयल)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

1. पुलिस आयुक्त,
   लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/वाराणसी/कानपुर नगर, उ0प्र0।
2. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
   पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,उ0प्र0।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर-2 पुलिस मुख्यालय , गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ - 226002

पत्रांकः डीजी-दस-वि0प्र0-रिट-(134)/2021/1954 दिनांकः जुलाई 26, 2021

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या-19839/2021 साहिल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 20.05.2021 में मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाले जमानत प्रार्थना पत्रों/जमानत अपीलों पर निर्धारित समय-सीमा के अन्दर Instructions उपलब्ध कराये जाने के संबंध में मिस जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 45784/2020 अजीत चौधरी बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांकित 11.01.2021 के अनुपालन में की गयी व्यवस्था के समरूप व्यवस्था किये जाने के संबंध में निम्नवत निर्देश दिये गये है-

> "With a view to streamlining the procedure for providing timely instructions to the GA/AGA certain directions were issued by this Court in Ajeet Chaudhary (supra). The aforesaid case was related to offences under the SC/ST Act. However, an analogous procedure can also be created for other criminal cases as well. Failure of the police authorities to provide timely instructions to the GA/ AGA in bail applications causes delay in the hearing of the bail applications, and often leads to unjustified incarceration of an accused in jail. The concerns expressed in Ajeet Choudary (supra) are applicable to all bail applications. The timelines in the procedure to provide instructions may vary as per the provisions of law. But the timeline has to be defined to ensure that hearing of the bail applications is not delayed indefinitely to the detriment of the accused/ bail applicant."

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु पुलिस कमिश्नरेट तथा जनपदों में जमानत प्रार्थना पत्रों/जमानत नोटिसों पर समय-सीमा के अन्तर्गत Instructions उपलब्ध कराने की स्थिति की समीक्षा हेतु निम्नवत समितियों का गठन किया जाता है।

जोन स्तर पर समीक्षा हेतु गठित समिति

1.	अपर पुलिस महानिदेशक, संबंधित जोन	अध्यक्ष
2.	जोनल मुख्यालय स्थित परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक	सदस्य
3.	जोनल मुख्यालय के अपर निदेशक अभियोजन	सदस्य

कमिश्नरेट स्तर पर समीक्षा हेतु गठित समिति

1.	संबंधित कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त	अध्यक्ष
2.	संबंधित कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त,अपराध	सदस्य
3.	संबंधित कमिश्नरेट के संयुक्त निदेशक अभियोजन	सदस्य

उपरोक्तानुसार गठित समितियों द्वारा अपने से संबंधित जनपदों / कमिश्नरेट में मा0 उच्च न्यायालय में योजित होने वाले जमानत प्रार्थना पत्रों / जमानत नोटिसों पर समयबद्ध Instructions उपलब्ध कराये जाने की मासिक समीक्षा की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि Instructions प्रेषित करने में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हो रहा है। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की शिथिलता प्रकट होती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों के अनुपालन से संबंधित है, अतः समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन का व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

(मुकुल गोयल)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

1. पुलिस आयुक्त,
   लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/वाराणसी/कानपुर नगर, उ0प्र0।
2. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
   पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद,उ0प्र0।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, जीआरपी, उ0प्र0।
4. सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।

(10)

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

टावर–2, पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

संख्याःडीजी–दस–वि0प्र0–रिट–(281)/2020

दिनांकःमार्च 3 , 2021

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस0 जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 45784/2020 अजीत चौधरी बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांकित 11.01.2021 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अभियुक्तों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित जमानत प्रार्थना पत्रों/जमानत अपीलों की नोटिस अपराध के पीड़ितों को तामील कराये जाने तथा तामीला की सूचना मा0 उच्च न्यायालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये हैं, जिसे पूर्ण करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा 96 घण्टे की समय सीमा निर्धारित की गयी है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उपरोक्त कार्यवाही की समीक्षा हेतु अपर पुलिस महानिदेशक से अन्यून स्तर के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं, जो निम्नवत् हैंः–

VI. Review of Compliance of Directions-

70. The Director General of Police shall create a State Level Committee headed by Officer not below than the rank of Additional Director General of Police. The aforesaid committee shall review the working and implementation of the above said directions, streamline procedures, study the possibility of further reducing the time period of notice of bail appeals/bail applications upon the victims, and also examine the action taken against the concerned officials for violating the directions.

71. The Committee shall submit its report on annual basis before the State Government and make appropriate recommendations.

72. Expeditious service of notice of bail application/bail appeal will give an early intimation about the said proceedings to the victim. By providing the victim with early information about the notice of bail proceedings, the rights of the victim under Section 15-A (3) of the Act will be realized.

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में पुलिस महानिदेशक, विशेष जॉच की अध्यक्षता में समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है–

1.	पुलिस महानिदेशक, विशेष जॉच	अध्यक्ष
2.	अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन	सदस्य
3.	अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध	सदस्य

उपरोक्त गठित कमेटी मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के पीड़ितों को जमानत नोटिसों का तामीला समयबद्ध रूप से किये जाने के सम्बन्ध में जनपदों/विवेचना इकाईयों से प्राप्त सूचना की मासिक समीक्षा करते हुए अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी।

(एच0सी0 अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/जीआरपी/अपराध/अभियोजन, उ0प्र0।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।